प्रारम्भिक संबोधन

माननीय सदस्यगण,

नये वर्ष के शुभागमन एवं षोडश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ ।

मेरी कामना है कि आप इस नये वर्ष में राज्य के विकास एवं समाज का भविष्य सँवारने में अपनी भूमिका सदन के माध्यम से सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकेंगे ।

षोड्श बिहार विधान सभा के प्रथम सत्र के बाद दिनांक 07 एवं 08 फरवरी, 2016 को बिहार विधान सभा का स्थापना-दिवस समारोह सह बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया । इसमें आप सबकी सक्रिय भागीदारी रही, जिसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ । उक्त अवसर पर आपकी लगातार उपस्थिति से कार्यक्रम काफी सफल हुआ तथा मीडिया में इसका प्रमुखता से प्रकाशित किया गया । इसके लिए मैं मीडिया के सभी प्रतिनिधियों का भी आभार प्रकट करता हूँ ।

वर्त्तमान सत्र के दौरान कुल 23 बैठकें निर्धारित है, जिसमें आज महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होगा एवं इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर अगले दो दिन विमर्श होगा । वित्तीय वर्ष 2016-17 के वार्षिक आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श के लिए दो दिन, विभिन्न विभागों के अनुदानों की माँगों पर विमर्श के लिए बारह दिन, राजकीय विधेयक के लिए दो दिन, विनियोग विधेयक के लिए एक दिन, तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी के लिए एक दिन एवं गैर सरकारी संकल्प के लिए दो दिन निर्धारित है ।

प्रजातंत्र में संसदीय प्रणाली ही सर्वोत्तम माना गया है । इस प्रणाली की आत्मा विधायिका होती है और विधायिका की आत्मा सार्थक विमर्श होता है । इसमें जनता विधान मंडल में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में सहभागिता निभाती है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अपने प्रदेश को विकासोन्मुखी बनाने में आज विधायी निकाय के समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जिनका सामना करते हुए हमें अपनी प्रगति के मंजिल तक पहुँचना है । बिहार की जनता ने सदन के अन्दर सत्ता एवं विपक्ष दोनों को रचनात्मक भूमिका निभाने का दायित्व दिया है ।

Contd....2...

विधायी निकाय की सबलता एवं सफलता के लिए लोकहितकारी कार्यक्रमों पर गंभीर चिंतन के साथ सत्र का संचालन होना आवश्यक होता है । इस संबंध में पूरे सत्र में आप सबों का सहयोग अपेक्षित रहेगा ।

यहाँ मैं यह उल्लेख करना मुनासिब समझता हूँ कि पिछले 22 एवं 23 जनवरी, 2016 को अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों का 78वाँ सम्मेलन गाँधीनगर (गुजरात) में हुआ । इसमें चर्चा का मुख्य मुद्दा सदन में लगातार होने वाले व्यवधान एवं इसके फलस्वरूप निर्धारित कार्यक्रमों का नहीं हो सकना था । जनहित के मुद्दों पर सदन में विमर्श न हो सकने पर सर्वसम्मति से चिंता जताई गई । दूसरे, सदन में ज्यादातर समय सदस्यों की कम उपस्थिति होना भी चर्चा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा था । ऐसा माना गया कि इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता के विश्वास में ह्रास होता है और इसे पुनर्स्थापित करने के लिए सतत् प्रयास किए जाने चाहिए । इस परिप्रेक्ष्य में आप सबों से अधिक से अधिक समय सदन में उपस्थित रहने की भी अपेक्षा रहेगी ।

सदन की कार्यवाही सुव्यवस्थित एवं अनुशासित ढंग से चलने में मीडिया की अपनी भूमिका है । सदन में माननीय सदस्यों के मर्यादित आचरण, सार्थक भाषण, महत्वपूर्ण सुझाव, नियम-परम्पराओं के तहत उठाए गए जन-समस्याओं एवं राज्यहित के महत्वपूर्ण विषयों पर सदन में की गई चर्चा को समाचार में प्रमुखता देने हेतु मीडिया की सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा करता हूँ ।

पूर्व की भाँति प्रश्नोत्तर काल का आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं विभिन्न स्थानीय चैनलों से सीधा एवं डेफर्ड प्रसारण कराने की व्यवस्था की गयी है, जिससे सदन की गतिविधियों से बिहार की जनता सीधे-सीधे रू-ब-रू हो सकेगी ।

मुझे आशा और विश्वास है कि सत्र के सफल संचालन में नियमों एवं परम्पराओं के अनुरूप आप सभी का सहयोग प्राप्त होगा ।

धन्यवाद !

❀❀❀❀❀